बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:- 06/वि0(डिजीलॉकर)-32/2018 पटना, दिनांक:

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा डिजीटल व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने एवं आम नागरिको की सुविधा हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित **डिजीलॉकर** के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा अपने DL एवं RC को आवश्यकतानुसार सुरक्षित रखे जाने तथा उसका उपयोग हेतु निर्णय लिया गया है । इससे नागरिकों को समय की बचत के साथ प्रासंगिक अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी एवं अनावश्यक परेशानी में कमी की जा सकेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब से नागरिकों को **'चालक अनुज्ञप्ति'** तथा **'वाहन निबंधन प्रमाणपत्र'** को भौतिक रूप में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी । इसके विकल्प स्वरूप उनके द्वारा अपने मोबाईल फोन के **'डिजीलॉकर ऐप'** (Digilocker App) के अंतर्गत उपलब्ध अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा ।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या GSR- 711(E) दिनांक 21.7.2016 के माध्यम से एक 'डिजीलॉकर प्राधिकार' गठित किया गया है जिसके तहत विकसित डिजीटल प्लेटफार्म के अंतर्गत मूलत: निर्गत प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप संग्रहित है । इसे नागरिको के "आधार नम्बर" के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है ।

इस डिजीटल प्लेटफार्म के अंतर्गत वर्त्तमान में नागरिको को निर्गत चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) की सुविधा उपलब्ध है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल रजिस्ट्रर से इंट्रीगेट किया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत डिजीलॉकर में उपलब्ध ये अभिलेख एवं प्रमाणपत्र मूल अभिलेख/ प्रमाणपत्र के समरूप समझा जायेगा बशर्त्ते वह लिंक आधारित या डाटाबेस से निर्गत प्राधिकार द्वारा निर्गत हो अर्थात् यह व्यवस्था मात्र issued document हेतू लागू होगा, न कि uploaded document में ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित डिजीलॉकर के साथ सम्बद्ध है जिसके फलस्वरूप नागरिकगण चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) अपने "आधार नम्बर" के माध्यम से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते है ।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित अभिलेख/प्रमाणपत्र के डिजीलॉकर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रति को मूल प्रति के रूप में उपयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

1. **चालक अनुज्ञप्ति (DL)**
2. **वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC)**

अस्वीकरण (Disclaimer)– यह अधिसूचना ऐसे मामलों में प्रभावी नहीं होगा, जिनमें चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) नियमों के अधीन जब्त करने की आवश्यकता हो ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- 06/वि0(डिजीलॉकर)-32/2018 पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।अनुरोध है कि इस गजट की पचास अतिरिक्त प्रतियाँ परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

ह0/-
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- 06/वि0(डिजीलॉकर)-32/2018 - 5099 पटना, दिनांक: 06.08.2018

प्रतिलिपि: सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/8/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।